बालश्रम-समस्या और समाधान

* डॉ. श्रीमती उषा कहोल ** श्रीमती दुर्गेश शांडिल्य

हर बच्चा माँ का लाड़ला परिवार की भविष्य की कल्पनाओं का आधार और समाज, देश की बुनियाद होता है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि आज का बचपन कल के समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक यानि समूचे विकास का आधार है। इन्हीं के हाथों देश का विकास एवं उन्नति संभव हैं। किन्तु जब यही हाथ मजदूरी में लगकर परिवार की आर्थिक उन्नति को बढ़ाने में लग जाते है जब यह स्थिति परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह बनकर सामने आती है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 25.2 करोड़ बच्चों की संख्या में 1.25 करोड़ 5 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे जो काम में लगे हुए है। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या के बारे में विभिन्न संगठनों द्वारा लगाये गये अनुमान भिन्न–भिन्न है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 23 वें दौर के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की अनुमानित संख्या 1.74 करोड़ थी। ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप ने 1994 में भारत में कामकाजी बच्चों की संख्या 4.40 करोड़ होने का अनुमान लगाया था। सेन्टर फॉर कन्सर्न ऑफ चाइल्ड लेवर के अनुसार हमारे देश में लगभग 10 करोड़ बालश्रमिक है। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से यह संख्या सही जान पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार जहां भारत में 25 करोड़ बाल श्रमिक है, वहीं विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल–श्रमिकों की संख्या 10 – 14 करोड़ के बीच है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का श्रमिक बाल–श्रमिक है। अमेंरिकन कानून के अनूसार 12 वर्ष या कम आयु तथा इंग्लैंड व अन्य यूरोपीय देशों में अनुसार 13 वर्ष या कम आयु के श्रमिक को बाल श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 15 वर्ष या उससे कम आयु का श्रमिक बाल श्रमिक है। भारतीय संविधान इस मुद्दे पर प्रारंभ से ही स्पष्ट है यहां 5–14 वर्ष के बीच बालक/बालिका जो वैतनिक श्रम करते है या क्षम द्वारा पारिवारिक कर्ज चुकाते है बाल–श्रमिक है। ''संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्टरी, खनन कार्य या किसी जोखिम वाले काम में नहीं लगाया जा सकता है। बाल मजदूरी अधिनियम 1986 के अनुसार वह बालक/बालिका जो 14 वर्ष से कम आयु का हो बच्चा कहलायेगा तथा कुछ व्यवसायों में कार्य करने से रोका जायेगा। भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार काम का तात्पर्य किसी आर्थिक उत्पादन क्रिया में प्रतिभागिता से है। अतः किसी उद्योग, खान, कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के मानसिक और शारीरिक श्रम करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं।

आर्थिक एवं सामाजिक परिपेक्ष्य में बालश्रम के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ –

(1) गरीबी एवं दरिद्रता–गरीबी एवं दरिद्रता के कारण निर्धन माता–पिता अपने बच्चों को रोजीरोटी कमाने के लिये भेजते है। गरीबी को ही कृषि में बालश्रम का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अतिरिक्त माता–पिता को पर्याप्त मजदूरी न मिलने से भी वे बच्चों को काम पर भेजते है।

(2) निरक्षरता–सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछडे वर्ग व्यापक स्तर पर इस तथ्य की अनदेखी करते है कि बच्चों को शिक्षा दिलाने से उनके व्यवसायिक आर्थिक अवसर नष्ट हो जायेगें।

(3) बड़ा परिवार– परिवार का बड़ा होना तथा इसके अनुरूप आय का प्राप्त न होना बाल श्रम का एक महत्त्वपूर्ण कारक है। क्योंकि इन परिस्थियों में परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुश्किल होता है।

(4) बाल श्रमिकों का सस्ता होना–औद्योगिकरण एवं आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के कारण नियोक्ता कम खर्च में यथाशीघ्र अधिकाधिक आय प्राप्त करना चाहता है और बेकारी व गरीबी उन्हे सस्ते बाल श्रमिक उपलब्ध कराती है।

इसके अलावा टी.वी एवं सिनेमा तथा पश्चिमी संस्कृति का खुलापन, बढता हुआ शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण उचित पालन पोषण न होना तथा बढती हुई भौतिकवादिता भी बालश्रम के लिये उत्तरदायी है।

बालश्रम निरोधक अधिनियम एवं कानून– बच्चों में देश में उनके अधिकार दिलाने के लिये संविधान में निम्नलिखित अधिनियम बनाये गये है –

(1) संविधान के अनुच्छेद 15 (3) द्वारा सरकार को बालकों के लिये अलग से कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
(2) अनुच्छेद 23 बालकों के द्वारा विक्रय एवं उनके द्वारा गैर कानूनी तथा अनैतिक कार्य करने पर रोक लगाता है साथ ही बालकों को भय दिखाकर या बिना पारिश्रमिक काम कराने को भी प्रतिबंधित करता है।
(3) संविधान का अनुच्छेद 24 जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित करने पर रोक लगाता है।
(4) संविधान के अनुच्छेद 39 (नीति–निर्देशक तत्व) बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनके शारीरिक विकास हेतु पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सरकार को निर्देश देता है।
(5) अनुच्छेद 39 (ई) में बच्चों के बचपन की रक्षा तथा स्वास्थ्य और उनकी उम्र के लिये घातक कार्यो में लगाने से रोकने के निर्देश दिये गये है।

* प्राध्यापक, गृह विज्ञान, शास. सरोजनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल
** सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान, शास. कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय, बालाघाट

(6) अनुच्छेद 39 (च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधायें उपलब्ध हों तथा बालकों की शोषण से रक्षा हो।

(7) फैक्टरी एक्ट 1948 किसी भी फैक्टरी में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार के बारे में निषेधात्मक व्यवस्थायें निर्देशित करता है।

(8) खान एक्ट 1952 खानों में काम करने के लिये न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करता है।

(9) बागान श्रम एक्ट 1951 – 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चाय, काफी और रबर के बागानों में रोजगार निषेधित करता है।

(10) अनुबंधित श्रमिक अधिनियम 1975 अनुबंधित श्रमिकों जिनमें बच्चे भी शामिल है। की कार्यदशाएं, मजदूरी भुगतान तथा कल्याण सुविधाओं को निर्धारित करता है।

(11) बाल श्रमिक अधिनियम 1986 बच्चों को कुछ व्यवसायों में प्रवेश पर रोक लगाता है और कुछ अन्य व्यवसाय प्रकारों की दशाओं का नियमितीकरण करता है।

(12) 1987 की बालश्रम नीति के अंतर्गत बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने शिक्षा, चिकित्सा, मनोंरजन तथा सामान्य विकास पर जोर देने की व्यवस्था की गई है।

(13) बालश्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन हेतु 1979 में गुरूपादस्वामी समिति गठित की गई। बालश्रम प्रथा उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा एक महत्त्वपूर्ण प्रयास एक विस्तृत अधिनियम बनाकर किया गया जिसे बालश्रम अधिनियम 1986 कहा जाता है इस अधिनियम के माध्यम से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 16 हानिकारक उद्योगों जैसे– कालीन बुनाई, बीड़ी बनाना, सीमेंट उत्पादन, भवन निर्माण, माइका कटिंग, कपड़ो की बुनाई और रंगाई, माचिस और विस्फोटक सामग्री, साबुन निर्माण और पत्थर काटने आदि कार्य करने पर रोक लगायी गयी ।

(14) वर्ष 1987 में '' राष्ट्रीय बालश्रम नीति '' की घोषणा की गयी।

(15) 1990 में राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान के श्रम मंत्रालय और यूनीसेफ के सहयोग से बाल श्रमिकों के सबंध में अध्ययन, शिक्षा और प्रशिक्षण शोध परियोजनाएँ आदि चलाने हेतु बाल–श्रमिक सेल की स्थापना की गई ताकि उन्हें यथा समय मुक्त कराकर उनके अधिकार दिये जा सकें।

(16) राष्ट्रीय एजेंडा 1998 में भी सरकार द्वारा बच्चों के लिये शिक्षा, पोषण और चिकित्सा सुविधा हेतु प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है।

(17) देश में राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन जो बच्चों की समस्याओं के निराकरण और उनके विकास के लिये विशेष प्रयास कर रहा है। बाल न्याय अधिनियम 2000 (बच्चों की सुरक्षा और देखभाल) भी संसद द्वारा पारित किया जा चुका है।

(18) मुश्किल में फंसे बच्चों को राहत पंहुचाने के लिये 2001 में निःशुल्क चाइल्ड लाईन फोन सेवा प्रांरभ की गई । इसके अतिरिक्त पूरे देश में 1975 से एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम जिसमें 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच एवं अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा रही है। 2001–02 से शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा के रूप में सर्वशिक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत सभी बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना (1995) के अंतर्गत पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। स्वास्थ्य रक्षा हेतु सार्वभौमिक टीकाकरण (1985) और पल्स पोलियो अभियान (1995) जैसे विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

इसी तारतम्य में बच्चों के सामाजिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बालवर्ष के रूप में मनाया ।

इस प्रकार सरकार संवैधानिक एवं विशेष कानूनों द्वारा बालश्रम की समस्या के निराकरण हेतु प्रयासरत् है। देश को बालश्रम जैसी गंभीर समस्या से छुटकारा दिलाने हेतु किये जा रहे प्रयासों और उनके परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में अभी भी अनेक चुनौतियां एवं समस्यायें है जिनके निदान हेतु सरकार एवं समाज दोनों को ही व्यवहारिक समाधान खोजनें होगें।

इसके लिये बालश्रमिकों के सही आंकड़ो को खोजकर उनके लिये उचित योजनाओं का क्रियान्वयन तथा देश में व्याप्त गरीबी व बेरोजगारी को दूर करने के लिये परिवार के कम से कम एक प्रौढ़ सदस्य को रोजगार। नियोजन की शोषण प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उचित पारिश्रमिक का भुगतान तथा बालश्रम समस्या समाधान हेतु बनाये नियमों एवं कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नियमों की अनदेखी करने वालों पर कठोर कार्यवाही । इसके अलावा बालश्रमिकों को श्रम क्षेत्र से हटाकर उनके पुनर्वास तथा उचित शिक्षा की व्यवस्था ।

प्रस्तुत अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि बालश्रम एक गंभीर सामाजिक समस्या है लेकिन इस समस्या को विभिन्न चुनौतियों का सामना कर एक समन्वित दीर्घकालीन नीति के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समितियाँ जिनमें हरवंशसिंह समिति, सनद मेंहता समिति, सिंघवी समिति तथा बालश्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, नियमों कानूनों आदि के द्वारा दूर करने के प्रयास किये जा रहे है एवं आशा की जा रही है कि बालश्रम जैसी गंभीर समस्या से हमारा समाज बहुत जल्द मुक्त हो सकता है।

सन्दर्भ–

(1) श्रम शास्त्र के सिद्धान्त–एम.सी.चतुर्वेदी – गोयल पब्लिशिंग हाउस मेंरठ (2) भारतीय अर्थशास्त्र–डॉ. अवध किशोर सक्सेना – राजहंस प्रकाशन मेंरठ (3) क्रॅानिकल युरो–मार्च 2006 (4) रिसर्च लिंक -Issue 37 Vol (02) अप्रैल 2007(5) रिसर्च लिंक –Issue 39 Vol (04) अप्रैल 2007